राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फा0 सं0 18/डीडीएमए/कोविड–19/2020/93 दिनांक 23.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि कोविड–19 के दौरान सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा दिनांक 20.04.2020 को परामर्शी (एडवाइजरी) जारी की गई है (प्रतिलिपि संलग्न) ;

अब, इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परामर्शी/दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिये **(i)** अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, **(ii)** आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम /उत्तर दिल्ली नगर निगम) और **(iii)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड को निर्देश दिये हैं।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

सेवा में,

1. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
2. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
3. सीईओ दिल्ली छावनी बोर्ड।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, दिल्ली।
5. सचिव, माननीय शहरी विकास मंत्री, दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
10. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाईल।